



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड—249199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay

Badshahithaul, Tehri Garhwal—249 199

Tel. : 01376 – 254065 (O)

Fax : 01376 – 254065

Website: www.sdsuv.ac.in

पत्रांक : 7673/SDSUV/प्रशासन/2022-23

दिनांक:— 21 नवम्बर, 2023

वाहन निविदा हेतु विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों के देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, एवं टिहरी गढ़वाल की पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों से डीजल/पेट्रोल सहित वाहनों को (वर्ष 2023–24) दिनांक— 21 नवम्बर, 2023 से 30 नवम्बर, 2024 तक (01 वर्ष हेतु) के लिये किराये पर लेने हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत फर्मों/ट्रेवल एजेन्सियों/वाहन स्वामियों से मुहर बन्द निविदायें स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं के माध्यम से दिनांक— 21.11.2023 से 14.12.2023 अपराह्न 2:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in पर देखी जा सकती है।

(के०आर० भट्ट)
कुलसचिव।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव कुलपति जी को, माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समाचार सम्पादक, अमर उजाला, नई टिहरी, दैनिक भास्कर, नई टिहरी तथा प्रधान टाईम्स, ऋषिकेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का साईज 6X4 से०मी० में दिनांक 22/11/2023 के उत्तराखण्ड गढ़वाल संस्करण में (10 प्रतिशत छूट के साथ) प्रकाशित कर बिल दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मुख्य वित्त अधिकारी।
4. विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
5. कार्यालय प्रति।

(के०आर० भट्ट)
कुलसचिव।



श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249 199

Sri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidhyalay
Badshahithaul, Tehri Garhwal-249 199

पत्रांक : 7673/SDSUV/प्रशासन/2022-23

दिनांक: 21 नवम्बर, 2023

Tel. : 01376 – 254065 (O)

Fax : 01376 – 254065

Website: www.sdsuv.ac.in

ट्रेवल एजेन्सियों से वाहन सम्बन्धी निविदा सूचना

विश्वविद्यालय में परीक्षाओं एवं अन्य विभागीय कार्यों के लिये पंजीकृत ट्रेवल एजेन्सियों से डीजल एवं पेट्रोल सहित वाहनों को वित्तीय वर्ष 2023–24 दिनांक 21 नवम्बर, 2023 से दिनांक 30 नवम्बर, 2024 (01 वर्ष) के लिये किराये पर लेने हेतु परिवहन विभाग में पंजीकृत फर्म/ट्रेवल एजेन्सियों/वाहन स्वामियों से मुहर बन्द निविदायें दिनांक 21 नवम्बर, 2023 से दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 अपराह्न 02:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/स्वयं के माध्यम से आमन्त्रित की जाती हैं। जो उसी दिन दिनांक 14 दिसम्बर, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे समिति द्वारा खोली जायेंगी। निविदादाता भी यदि इच्छुक हो उपस्थित रह सकते हैं। निविदा प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.sdsuv.ac.in से डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र के साथ निविदा प्रपत्र के मूल्य ₹0 1,000.00 + GST(₹0 एक हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, 'वित्त अधिकारी, श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल' के नाम संलग्न करना होगा। अपेक्षित नियम—शर्तें प्रपत्र के साथ संलग्न हैं।

निविदा प्रपत्र के ऊपर ट्रेवल एजेन्सियों से वाहन दरों हेतु निविदा – 2023 लिखना आवश्यक है। निविदा प्रपत्र में निर्धारित धरोहर राशि ₹0 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) केवल बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 के रूप में वित्त अधिकारी, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नाम जमा करना आवश्यक है।

आवश्यक शर्तें :-

1. निविदा केवल विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र पर ही मान्य होगी।
2. धरोहर धनराशि रुपये 50,000.00 (₹0 पचास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो कि वित्त अधिकारी श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाहीथौल के पदनाम संलग्न किया जाना आवश्यक है। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं होगी।
3. फर्म का दो वर्षों (प्रति वर्ष) का वार्षिक टर्न ओवर ₹0 25.00 लाख (₹0 पच्चीस लाख मात्र) का प्रमाण पत्र जो कि 06 माह से पुराना न हो (संलग्न किया जाय)।
4. निविदा की दरें समस्त व्यय एवं करों सहित देनी होगी। अलग से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।
5. निविदादाता का चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न किया जाय।
6. निविदादाता को दो लिफाफे बनाने होगे। एक लिफाफा तकनीकी निविदा तथा दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का बनाना होगा। तकनीकी निविदा के लिफाफे के ऊपर तकनीकी निविदा तथा वित्तीय निविदा के लिफाफे के ऊपर वित्तीय निविदा अंकित किया जाय। दोनों लिफाफों को एक ही लिफाफे के अन्दर रखकर सीलबन्द

करके लिफाफों के उपर "परीक्षा कार्यों हेतु विभिन्न प्रकार के वाहनों को 31 मार्च 2023 तक किराये पर लिये जाने हेतु निविदा अंकित करना होगा।

7. यदि तकनीकी निविदा के अन्दर वांछित प्रमाण पत्र नहीं पाये जाते हैं, तो वित्तीय निविदा का लिफाफा नहीं खोला जायेगा।
8. जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति जो वर्ष 2019–2020 अथवा आजीवन के लिए मान्य हो।
9. फर्म की विगत दो वर्षों की आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड नं0 की छाया प्रति।
10. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत होगी, विश्वविद्यालय के आदेश पर निविदादाता से मांगी गई आवश्यकता के अनुसार वाहन उपलब्ध करवाया जाना होगा।
11. जिस निविदादाता की दरें स्वीकृत होगी उसे विश्वविद्यालय के साथ ₹ 100.00 के शपथ पत्र पर अनुबन्ध करना होगा। अनुबन्ध की शर्तें विश्वविद्यालय निर्धारित करेगा।
12. वाहन का मॉडल **31 मार्च 2020** के पश्चात का पंजीकृत होना चाहिए।
13. बिल भुगतान हेतु प्रत्येक माहवार प्रस्तुत किये जायेंगे, यदि बिल माहवार प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे तो भुगतान के विलम्ब हेतु सम्बन्धित फर्म ही उत्तरदायी होगी।
14. निविदादाता द्वारा वाहन देहरादून/ठिहरी तथा अधिकतम वाहन विश्वविद्यालय के परिसर ऋषिकेश में उपलब्ध कराये जाने होंगे। जैसे कि विश्वविद्यालय स्तर मुख्यालय तथा ऋषिकेश परिसर से वाहन मॉग की जायेगी तो वाहन स्वामी ऋषिकेश परिसर से ही वाहन का चार्ज करेगा यदि विश्वविद्यालय मुख्यालय ठिहरी से वाहन की मॉग की जाती है तो वाहन का किराया विश्वविद्यालय मुख्यालय से ही देय होगा। निविदादाता का ऋषिकेश केन्द्र से व्ययभार लागू होगा।
15. वाहन को विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी के आदेशानुसार दो घण्टे के अन्तर्गत उपलब्ध कराना होगा, चूंकि विश्वविद्यालय द्वारा वाहन परीक्षाओं के संपादन हेतु लिए जा रहे हैं, परीक्षा कार्यों के मध्येनजर सम्बन्धित फर्म को तत्काल (02 घण्टे के अन्तर्गत) उपलब्ध कराना होगा। यदि वाहन स्वामी द्वारा वाहन निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो परीक्षा में हुई क्षति को सम्बन्धित फर्म के बिलों से ₹0 5000/-प्रति दिन की दर से कटौती की जायेगी, जो कि फर्म को मान्य होगी। इस शर्त में किसी भी प्रकार की शिथिलता मान्य नहीं होगी।



16. फर्म द्वारा आरोटीओ० कार्यालय में वाहनों के पंजीकरण का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
17. फर्म द्वारा इस आशय का शपथ—पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसे किसी भी राजकीय विभाग/संस्थान द्वारा निषेध नहीं किया गया है।
18. निविदा प्रपत्र के साथ स्वप्रमाणित फोटोग्राफ एंवं फर्म की मुहर भी संलग्न करना आवश्यक है। सभी लिखित सूचनाएँ स्वहस्ताक्षरित/स्वप्रमाणित होगी और फर्म की मुहर भी लगायी जानी आवश्यक होगी।
19. विश्वविद्यालय को बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी प्रकार का लिखित पत्राचार एवं मौखिक वार्ता स्वीकार नहीं होगा। विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र टिहरी होगा।
20. फर्मों को मैदानी/पर्वतीय क्षेत्र में जो उत्तराखण्ड परिवहन विभाग की दरें होगी उन्हीं दरों के अधीन निविदा पर विचार किया जायेगा। परिवहन द्वारा निर्धारित दरों के ऊपर विचार नहीं किया जायेगा।
21. निविदादाता का पंजीकरण सामग्री की प्रकृति के आधार पर निर्धारित अवधि (एक वर्ष से तीन वर्ष तक) के लिये किया जायेगा। इस निश्चित अवधि के बाद इच्छुक पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को पंजीकरण के नवीनीकरण के लिये नये सिरे से आवेदन करना होगा। पंजीकरण हेतु नये आपूर्तिकर्ताओं पर भी किसी भी समय विचार किया जा सकेगा, परन्तु यह अनिवार्य होगा कि वह अपेक्षित शर्तें पूरी करते हों।
22. सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक पंजीकृत निविदादाता के कार्यों (परफारमेंस), आचरण आदि पर निगरानी रखी जायेगी:
- परन्तु यह कि यदि कोई पंजीकृत निविदादाता निविदा की शर्तों का अनुपालन करने अथवा सेवा की समय से आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित मानक से निम्नतर प्रकार की सेवा की आपूर्ति करता है अथवा किसी सरकारी एजेन्सी को गलत घोषणा/तथ्य प्रस्तुत करता है अथवा राज्य सरकार की दृष्टि में कोई अन्य आधार, जो जनहित में न हो तो उसे निविदादाता की अनुमोदित सूची से हटा दिया जायेगा।
23. कार्यालय की मांग पर सेवा प्रदाता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों के समस्त प्रपत्र यथा पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि वैद्य होने चाहिये। उक्त सभी सम्बन्धित व्यय निविदादाता फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।

24. वाहन पर तैनात वाहन चालक, वैद्य व्यावसायिक लाइसेंस धारक होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी व अनुशासित होना चाहिए। वाहन चालक का बीमा एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसी प्रकार वाहन चालक का स्वारथ्य खराब होने अथवा सेवायें संतोषजनक न होने पर चालक को तुरन्त बदलना होगा।
25. सफल निविदादाता द्वारा केन्द्र के सक्षम अधिकारी अथवा अधिकृत अधिकारी के कार्य-आदेश प्राप्त होने पर ही केन्द्र द्वारा निर्गत आदेशों में उल्लिखित वाहन ही उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगा। केवल आपातिक परिस्थितियों में ही सक्षम प्राधिकारी/अधिकृत अधिकारी के मौखिक/टेलिफोनिक आदेश पर वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा और ऐसे अपवादात्मक (ऐक्सेप्सनल) मामलों में भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शीघ्रातिशीघ्र कार्योत्तर स्वीकृति सम्बन्धी आदेश प्राप्त कर लिया जाय।
26. निविदादाता फर्म के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद लम्बित न हो। इस आशय का नोटराईज़ज़ड शपथ पत्र उपलब्ध कराया जाना होगा कि पूर्व में फर्म में आमख्याती एवं कार्य व्यवहार अच्छा है तथा फर्म विश्वविद्यालय को सेवाएं दिये जाने में पूर्णतया सन्तुष्ट है और पूर्व में विश्वविद्यालय से किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है।
27. विश्वविद्यालय के अधिकारियों के उपयोगार्थ टैक्सी वाहन, स्कॉर्पियो (ए०सी०/नॉन ए०सी०) मय वाहन चालक की दरें (विश्वविद्यालय द्वारा मात्र ईंधन ही अनुमन्य होगा) अलग से निविदा प्रपत्र-02 में उपलब्ध करायी जाय।



कुलसचिव

वित्तीय विड

निविदा प्रपत्र

- 1- फर्म/मालिक का नाम.....
- 2- निविदा फर्म का नाम एवं पता.....
- 3- दूरभाष नम्बर/ई0मेल0 आई0डी0.....
- 4- फर्म/मालिक द्वारा विभिन्न प्रकार के वाहनों का किराया तेल एवं समस्त व्यय सहित प्रति कि0मी0 दर से निम्नवत् वाहनों के सम्मुख अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय, समस्त स्तम्भ की दरें अंकित की जानी अनिवार्य है।

| क्र0स0 | वाहन का मॉडल | दर अंको में | दर शब्दों में |
|--------|----------------------------------|-------------|---------------|
| 01 | ट्रक 407 डीजल चलित | | |
| 02 | यूटिलिटी डीजल चलित | | |
| 03 | टाटासूमो/मैक्स/बुलेरों डीजल चलित | | |
| 04 | इण्डिगों | | |
| 05 | इनोवा | | |
| 06 | स्कार्पियों | | |
| 07 | स्वीफ्ट डिजायर | | |
| 08 | मारुति-अल्टो | | |

मेरे द्वारा निविदा की समस्त शर्तों को भली-भांति पढ़ने के पश्चात् दरें दी गयी है। यदि मेरी दरें विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो मैं विश्वविद्यालय शर्तों के अनुरूप समय-समय पर मांग के अनुसार वाहन उपलब्ध करा दूंगा।

दिनांक—.....

हस्ताक्षर.....

निविदादाता का नाम.....

पता.....

तकनीकी विड

निविदा प्रपत्र

- 1— फर्म/मालिक का नाम.....
- 2— निविदादाता फर्म का नाम एवं पता.....
- 3— दूरभाष नम्बर/ई0मेल0 आई0डी0.....
- 4— फर्म का पंजीकरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
- 5— फर्म/मालिक का पैन नम्बर (छायाप्रति संलग्न करें).....
- 6— वर्ष 2020–2021 के सर्विस टैक्स/जी0एस0टी0 जमा किये जाने सम्बन्धी चालान की प्रति संलग्न करें.....
- 7— निविदा राशि का विवरण—बैंक ड्राफ्ट संख्या..... दिनांक.....
- 8— धरोहर राशि का विवरण—बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 संख्या.....
दिनांक—..... धनराशि.....
- 09— आयकर विवरण प्रमाण पत्र संलग्न करें.....
- 10— शपथ—पत्र।
- 11— अनुभव प्रमाण—पत्र।
- 12— आर0टी0ओ0 द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र।
- 13— चरित्र प्रमाण पत्र।
- 14— फोटो।

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
स्वप्रमाणित
फोटोग्राफ चस्पा
करें।

दिनांक—.....

हस्ताक्षर.

फर्म/मालिक
पूरा पता.....

मुहर.....